



2026:AHC:170638-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 14921/2026

नस्सो और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: राजेश कुमार पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत

संक्षेप में, एफ.आई.आर. में वर्णित अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि याचिकाकर्तागण सहित नामित अपराधियों ने मृतका को दहेज हेतु निरंतर प्रताड़ित किया। मृतका की हत्या अभियुक्तगण द्वारा की गई, जिन्होंने मृतका के शव को भी दफना दिया था।

याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पांडेय प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न होता है। याचिकाकर्तागण को मिथ्या फंसाया गया है तथा एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अपराध के प्रथमदृष्ट्या कारित होने को स्थापित करती है तथा इसमें गहन विवेचना अपेक्षित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। विवेचना जारी है। इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रम पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाना विवेचना में बाधा उत्पन्न करेगा, साक्ष्य की क्षति अथवा विलोपन कारित करेगा तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 सप्प (1) एसएससी 335)** और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2021) 19 एसएससी 401** में अधिकथित विधि के विरोध में होगा।

भजन लाल (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“102. संहिता के अध्याय XIV के अधीन विभिन्न सुसंगत उपबंधों के निर्वचन की पृष्ठभूमि में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हमने दृष्टांत स्वरूप वादों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई परिशुद्ध, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से माध्यमित एवं अनम्य दिशानिर्देश अथवा कठोर सूत्र अधिकथित करना तथा उन असंख्य प्रकार के वादों की, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, एक संपूर्ण सूची देना संभव नहीं हो सकता।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किए गए अभिकथन, यदि उन्हें अपने वास्तविक अर्थ में लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, तब भी प्रथमदृष्ट्या कोई अपराध गठित नहीं करते अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए अभिकथन तथा एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संहिता की धारा 155(2) की परिधि के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिरिक्त संहिता की धारा 156(1) के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराने वाले किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण नहीं करते।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में किए गए अखंडित अभिकथन तथा उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के कारित होने का प्रकटीकरण नहीं करते और अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(4) जहां, एफ.आई.आर. में किए गए अभिकथन कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं करते, अपितु केवल एक असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुज्ञेय नहीं है।

(5) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में किए गए अभिकथन इतने बेतुके और स्वभावतः असंभाव्य हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता के अथवा संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी उपबंध में कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने और चालू रहने के प्रति कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन अंतर्गृथित है और/अथवा जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्षकार की व्यथा के लिए प्रभावोत्पादक निवारण उपबंधित करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध विद्यमान है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही प्रत्यक्षतः दुर्भावना से युक्त है और/अथवा जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के प्रच्छन्न उद्देश्य से तथा निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे क्षति पहुंचाने की दृष्टि से द्वेषपूर्ण ढंग से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी देते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत मितव्ययिता तथा सतर्कता से किया जाना चाहिए और वह भी विरलतम वादों में; कि एफ.आई.आर. अथवा परिवाद में किए गए अभिकथनों की विश्वसनीयता अथवा सत्यता अथवा अन्यथा के संबंध में जांच करने में प्रवृत्त होना न्यायालय के लिए न्यायोचित नहीं होगा तथा यह कि असाधारण अथवा अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने की मनमानी अधिकारिता प्रदान नहीं करतीं है।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निहारिका (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

“33.16. उपर्युक्त मानदंड लागू होंगे और/अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन और/अथवा दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में अभिखंडन याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त पहलुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है। तथापि, अभिखंडन याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सतर्कता के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, अनायास और/अथवा यांत्रिक ढंग से पारित किए जाने की अपेक्षा नहीं रखता। सामान्यतः, जब विवेचना प्रगति पर हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तब उच्च न्यायालय को गिरफ्तार न करने अथवा “कोई प्रपीड़क कदम न उठाए जाने” का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को विरत रखना चाहिए तथा अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन और/अथवा दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन अभिखंडन याचिका को खारिज/निस्तारित करते समय, विवेचना के दौरान अथवा विवेचना पूर्ण होने तक और/अथवा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल किए जाने तक, गिरफ्तार न करने और/अथवा “कोई प्रपीड़क कदम न उठाए जाने” का आदेश पारित करने के लिए न तो बाध्य है और वस्तुतः न्यायोचित भी नहीं है।”

भजन लाल (उपरोक्त) और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर** (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय इस वाद के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं तथा हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से विरत करते हैं।

एफ.आई.आर. के अभिखंडन हेतु मांगा गया अनुतोष भी तदनुसार उन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13 अगस्त, 2026

आशीष त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।